लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1797

उत्तर देने की तारीखः 02.07.2019

ओबीसी विद्यार्थियों हेतु उच्चतर शिक्षा ऋण

1797. डॉ सुकान्त मजूमदारः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को शून्य ब्याज दर पर उच्च शिक्षा ऋण प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो ओबीसी से संबंधित उन छात्रों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) में ऋण के लिए आवेदन किया है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेश में अध्ययन करने के लिए आवेदन करने वाले और ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऐसे शिक्षा ऋण प्राप्त करने में ओबीसी छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए शून्य ब्याज दर पर कोई ऋण प्रदान नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत एक निगम है, को पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम है, को उपयुक्त प्राधिकरणों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित शिक्षण संस्थानों में स्नातक और उच्चतर स्तर के सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक ऋण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। उच्चतर शिक्षा अध्ययन हेतु ऋण के लिए ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष और बालिकाओं के लिए यह ब्याज दर 3.5% प्रतिवर्ष है।

(ख) और (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत और विदेश में अध्ययन हेतु छात्रों जिन्हें ऋण संवितरित किया गया है, की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) और (ड.): इस संबंध में अब तक कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध-I

दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1797 के लिए अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत एनबीसीएफडीसी द्वारा संवितरित निधि दर्शाने वाला विवरण

वित्तीय: (रुपए/लाख)
वास्तविक: लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17				2017-18				2018-19			
		भारत में		विदेश में		भारत में		विदेश में		भारत में		विदेश में	
		वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0.00	0	17.99	11	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2	तेलंगाना	0.00	0	0.00	0	48.35	33	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3	चंडीगढ़(संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	22.50	25	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	4.27	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6	गोवा	5.00	10	5.00	5	40.00	10	0.00	0	25.00	30	5.00	2
7	गुजरात	150.00	165	0.00	0	115.95	140	0.00	0	229.00	546	0.00	0
8	हरियाणा	50.00	105	0.00	0	101.00	29	54.00	4	100.00	30	40.00	4
9	हिमाचल प्रदेश	61.94	90	10.00	10	42.30	17	0.00	0	71.25	44	0.00	0
10	जम्मू और कश्मीर	35.00	40	0.00	0	25.00	50	0.00	0	10.00	13	0.00	0
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0	50.00	50	10.00	1	0.00	0	0.00	0
12	कर्नाटक	393.18	468	460.68	337	213.80	168	68.00	6	0.00	0	0.00	0
13	केरल	825.00	1205	385.00	310	856.21	608	300.00	95	1320.00	655	500.00	125
14	मध्य प्रदेश	50.00	70	0.00	0	20.47	5	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	0.52	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	100.00	200	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	पंजाब	30.00	80	10.00	10	20.00	11	10.00	2	15.00	15	10.00	6
18	राजस्थान	0.00	0	0.00	0	13.50	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	19.98	26	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	त्रिपुरा	250.00	400	0.00	0	300.00	400	0.00	0	200.00	400	0.00	0
22	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	70.00	17	0.00	0	62.00	70	63.00	40
23	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	4.50	1	9.00	1	4.50	9	9.00	2
24	पश्चिम बंगाल	55.00	80	5.00	5	36.50	18	0.00	0	50.00	56	50.00	29
	कुल:	2005.12	2913	875.68	677	2022.84	1634	451.00	109	2086.75	1868	677.00	208

****